



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241679
CG-DL-E-05012023-241679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944

No. 23]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

का.आ. 26(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कलेक्टोरेट एस. डी. एम. ऑफिस बुरहानपुर (NH347C) के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 17+965 मध्य प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH347C (खलघाट-खरगोन-बिस्तान-एँम.एच. बॉर्डर रोड) (बुरहानपुर लोनी बाईपास) (3a) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपालगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH347C के कि.मी. 0 से 17.965 तक	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	नेपालगर	1 चुलखान
---	---	---	-------------	-----------	---------	----------

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/42/2018-19]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2023

S. O. 26(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 0+000 to Km.17+965 of Collectorate SDM office Burhanpur (NH347C) in the State of MADHYA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH347C (Khalghat-Khargone-Bistan-MH-Border-Road)
(Burhanpur-Loni-Bypass) (3a) in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer Nepalagar, District Burhanpur (MP)	0 Km. To 17.965 Km.	MADHYA PRADESH	BURHANPUR	Nepanagar	1 Chulkhan

[F. No. CE-RO BPL/30010/42/2018-19]

RAJESH GUPTA, Director